265

संख्या : /XIV-2/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/देहरादून/नैनीताल।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 25 जुलाई, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुदान संख्या–30 में आयोजनागत पक्ष की जिला योजनान्तर्गत गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम, 2012 पारित होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 321/ XXVII(I) / 2012 दिनांक 19 जून, 2012 एवं शासनादेश संख्या : 330/ XXVII(I)/2012 दिनांक 22 जून, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 **(01.4.2012 से 31.7.2012 तक के लिए शासनादेश संख्या : 856/XIV-2/2012 दिनांक 09 जून, 2012 द्वारा 04 माह के लेखानुदान की समस्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए)** में अनुदान संख्या –30 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की जिला योजना में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) हेतु कुल प्राविधानित बजट की धनराशि रू. 795,000.00 (रूपये सात लाख पच्चानब्बे हजार) व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन संलग्नक में उल्लेखित जनपदों के सम्मुख अंकित विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस मद में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण एवम् व्यय किया जाएगा।
3. जिला योजना के अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमान्त एवं विभागीय प्रस्ताव के पूर्ण परीक्षण के उपरान्त उक्त धनराशि हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जनपद स्तर पर मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी जारी करेगे। जिला सेक्टर की योजना में रू. 50 लाख की सीमा तक की स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर पर तथा उससे अधिक धनराशि वाली योजनाओं की स्वीकृति मण्डलायुक्त स्तर पर जारी की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा अनुमोदित परिव्यय एवं योजनाओं की सीमा तक ही किया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग यदि अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनसे अनाधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
5. सभी कार्यक्रमों/योजनाओं के मासिक/वार्षिक भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण स्वीकृत धनराशि का आहरण पूर्ण कर लिया जाय तथा उपरोक्त निर्धारित लक्ष्यों से शासन वित्त/नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।
6. जिला/मण्डल स्तर पर वित्तीय स्वीकृति जारी करने, स्वीकृति/व्यय की प्रगति का संकलन, नियमित अनुश्रवण एवम् प्रगति विवरण संबंधी समस्त प्रकिया में अर्थ एवम् संख्या विभाग के जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारी तत्संबंधी पत्रावली सीधे

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे। राज्य स्तर पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या के पृथक प्रकोष्ठ गठित कर जिला योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का संकलन करते हुए शासन को समयबद्ध उपलब्ध करायें।

7. जिला/मण्डल स्तर पर संचालित विकास कार्यों का नियमित अनुश्रवण– मूल्यांकन एवम् स्थलीय सत्यापन के लिए टास्कफोर्स गठित कर सत्यापन कार्य जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त सुनिश्चित करायेंगे।
8. स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास एवम् चीनी उद्योग विभाग), उत्तराखण्ड शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर नियमित रूप से वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
10. जिलाधिकारी माहवार वित्तीय/भौतिक प्रगति सम्बन्धित मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे जिसे मण्डलायुक्त द्वारा मुख्य सचिव को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलायुक्त प्रतिवेदन की प्रति नियोजन/वित्त एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव को भी पृष्ठांकित की जायेगी।
11. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्यों/मद पर व्यय न की जाए, जो की वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी प्रतिबन्धित हो अथवा शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति न ली गयी हो, प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाए।
12. जनपद नैनीताल को आवंटित धनराशि अंकन रू. 25 हजार (रूपये पच्चीस हजार) **(01.4.2012 से 31.7.2012 तक के लिए शासनादेश संख्या : 856/XIV-2/2012 दिनांक 09 जून, 2012 द्वारा 04 माह के लेखानुदान की समस्त धनराशि को सम्मिलित करते हुए)** का आहरण सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर कोषागार ऊधमसिंह नगर से करेंगे तथा सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद नैनीताल को आवंटित धनराशि का नियमान्तर्गत उपयोग कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–108–वाणिज्यिक फसलें, 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान 0203–गन्ना विकास की योजना, 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
14. यह आदेश सचिव वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – 321/XXVII(I)/2012 दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या– 1038(1)/XIV–2/2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
3. गन्ना एवम् चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर/देहरादून/हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/देहरादून/हरिद्वार/नैनीताल(हल्द्वानी)।
6. वित्त अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. राज्य योजना आयोग विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव